न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 18/2014

बउनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र रूपनारायण जाति धाकड़ निवासी खेड़ली
2. रूपनारायण आयु 53 वर्ष पुत्र लालचंद जाति धाकड़ निवासी खेड़ली पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

1. प्यारेलाल आयु 45 साल पुत्र प्रभूलाल चमार निवासी मोतीपुरा
2. मोहनलाल पुत्र प्रभूलाल आयु 40 साल जाति चमार निवासी मोतीपुरा
3. नारायणलाल आयु 38 साल पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मोतीपुरा
4. छीतरलाल आयु 36 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मोतीपुरा
5. मूलचन्द आयु 25 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति चमार निवासी मोतीपुरा
6. रामचरण पुत्र प्रभूलाल आयु 30 वर्ष जाति चमार निवासी मोतीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज (रेंस्पोडेंट्स)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता II एडवोकेट (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेंट क्रम 7)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 87 दिनांक 13.12.1978 वाके ग्राम खेड़ली को निरस्त कर रेकार्ड दुरूस्ती हेतु पेश की। उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 29.09.2010 से न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा "अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की गई।" इस आदेश की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा में पेश की गई जो प्रकरण संख्या 46/2011/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां बउनवान राजेन्द्र कुमार वगैरह बनाम प्यारेलाल वगैरह दर्ज की जाकर उसमें पारित निर्णय दिनांक 24.12.2013 से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 34/2005 बउनवान राजेन्द्र कुमार वगैरह बनाम प्यारेलाल वगैरह में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2010 अपास्त की जाकर "निर्णय में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करें" इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित होकर न्यायालय में प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा के निर्णय दिनांक 24.12.2013 से प्रतिप्रेषित होकर प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। अपीलांट्स ने जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी। रेस्पो. कम 1 ता 6 को कई बार तलब किये जाने तथा उनके बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रकरण मे एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स की सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि प्रभूलाल को आराजी खसरा नंबर 118 ग्राम खेड़ली रकबा 15 बीघा का आवंटन होकर पट्टा कमांक 991 दिया गया तथा इंतकाल आराजी खसरा नंबर 27 का खोला गया जबकि प्रभूलाल को आराजी खसरा नंबर 27 ग्राम खेड़ली का कोई आवंटन नहीं हुआ। आराजी खसरा नंबर 27/6 रकबा 15 बीघा ग्राम खेड़ली में प्यारेलाल, मोहनलाल, नारायणलाल, छीतरलाल, रामचरण, मूलचंद पुत्रगण प्रभूलाल जाति चमार निवासी मोतीपुरा के खाते दर्ज है खसरा नंबर 27/6 की नक्शे मे तरमीम हो रही है किन्तु रकबा 15 बीघा न होकर 6 बीघा का नक्शा अंकित किया है। खसरा नंबर 27/6 पर वर्तमान में राजेन्द्र कुमार पुत्र रूपनारायण धाकड़ निवासी खेड़ली का कब्जा है जबकि उसके खाते में खसरा नंबर 160/27 रकबा 6 बीघा भूमि दर्ज है खसरा नंबर 27 की भूमि के किसी भी भाग पर प्यारेलाल मोहनलाल वगैरा का कब्जा नही है। इस न्यायालय को ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नही किया है जिससे स्पष्ट हो कि आज की तारीख तक आराजी खसरा नंबर 118 ग्राम खेड़ली का आवंटन मौजूद है ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 27/6 का खोला गया इंतकाल स्वतः ही निरस्तनीय है। अगर प्रभूलाल के वारिसान रेस्पो. का आवंटन विधिवत जांच कर सही पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में रेस्पो. के नाम 27/6 के स्थान पर खसरा नंबर 118 का नामांतकरण दर्ज किया जा सकता है। न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त इंतकाल अपील प्रकरण संख्या 34/2005 दिनांक 29.09.2010 को निरस्त कर उल्लेख किया गया कि अपीलांट को खसरा नंबर 27 बाद में आवंटन हुआ इससे पूर्व खसरा नंबर 27 रकबा 15 बीघा प्रभूलाल को आवंटन होना तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित होना पाया जाता है, किन्तु अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के पिता प्रभूलाल की आवंटित भूमि खसरा नंबर 27 में अनाधिकृत कब्जा कर नक्से में तरमीम करवाई गई है। इसकी अपील अपीलियट कोर्ट में प्रस्तुत की गई जहां पर उक्त निर्णय दिनांक 29.09.2010 निरस्त किया जाकर पुनः विधि सम्मत सुनवाई के लिये प्रतिप्रेषित किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगंज मुकाम खेडली दिनांक 06.06.2010 की रिपोर्ट मे कहीं भी रेस्पो0 या उनके पिता प्रभूलाल को 27/6 की आराजी आवंटित होना नही बताया गया है ना उनका कोई कब्जा बताया गया है, पटवार मण्डल बादीपुरा का मौका पर्चा पेश हुआ है जिसमें ग्राम खेडली की आराजी खसरा नंबर 118 पर मौके पर सभी आवंटी अपनी अपनी भूमि पर काबिज है, मुताबिक रिकार्ड शेष रकबा 26.02 बीघा भूमि गैर मुमकिन पठार शेष है। प्यारेलाल वगै0 पुत्र प्रभूलाल को खसरा नंबर 27 की 15 बीघा भूमि आवंटन हुई है, जिसकी टी.पी. चल रही है। केवल इसको आधार मानकर ही पूर्व में निर्णय पारित किया गया था जबकि तहसीलदार किशनगंज द्वारा दिनांक 06.06.2010 की रिपोर्ट हल्का पटवारी बांदीपुरा व हल्का पटवारी मामली पेश की गई है, जिसमें खसरा नंबर 27 का कोई आवंटन रेस्पो0 [illegible] बताया गया है। इसका कोई गौर पूर्व के निर्णय में नही किया गया है। इस [illegible] काल कमांक 87 दिनांक 13.12.1978 अवैधानिक रूप से खोला गया है जो काबिल [illegible] है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम खेडली का [illegible] 13.12.1978 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रकरण में संलग्न ग्राम खेड़ली के नामान्तकरण संख्या 66 एवं 87 की स्पष्ट पठनीय प्रतियां नहीं होने से पठनीय प्रतियां एवं ग्राम खेड़ली की आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 15 बीघा के प्रभूलाल पुत्र भूरालाल जाति चमार निवासी मोतीपुरा को हुये आवंटन की पत्रावली तहसीलदार किशनगंज से चाही गई, परन्तु उक्त रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ तथा अपीलांट की ओर से भी उक्त पठनीय रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार किशनगंज से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2010 के अनुसार ग्राम खेड़ली की आराजी खसरा नंबर 118 पर आवंटित रकबे पर आवंटियों का कब्जा है, प्यारेलाल, मोहनलाल पुत्रगण प्रभूलाल वगैरह का कब्जा नहीं है। खसरा नंबर 27 का 6 बीघा रकबा राजेन्द्रकुमार को आवंटित हुआ है जो जमाबंदी में खसरा नंबर 160/27 दर्ज है, खसरा नंबर 160/27 के रूप में नक्शे में कोई तरमीम नहीं है, ज्ञातव्य है कि खसरा नंबर 27/6 का मूल आवंटी प्यारेलाल, मोहनलाल वगैरह का पिता प्रभूलाल बैरवा था एवं आवंटित रकबा 15 बीघा पर ही काबिज था किन्तु ग्राम में लडाई झगड़ा होने के कारण कुछ अवधि के लिए गांव से बाहर चला गया था, इस अवसर का लाभ उठाकर अपीलांट ने इस भूमि पर कब्जा कर लिया तथा बाद में कब्जे के आधार पर खसरा नंबर 27/6 रकबा 15 बीघा के रूप में नक्शे मे तरमीम करवाकर काबिज है, खसरा नंबर 27 की सम्पूर्ण तरमीम मौका अनुसार नहीं है। राजेन्द्र कुमार का आवंटन खसरा नंबर 27 में प्रभूलाल के आवंटन के बाद का है। खसरा नंबर 27/6 का जो रकबा वर्तमान में प्रभूलाल के वारिसान के नाम रिकार्ड में दर्ज है पर प्यारेलाल, मोहनलाल वगैरह कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलांट से पूर्व खसरा नंबर 27 में 15 बीघा भूमि का आवंटन प्यारेलाल, मोहनलाल वगैरह के पिता प्रभूलाल को होना तहसीलदार किशनगंज से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.07.2010 से प्रमाणित है। अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क नितान्त असत्य है कि प्यारेलाल, मोहनलाल वगैरह के पिता प्रभूलाल को ग्राम खेडली की आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 15 बीघा का आवंटन ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:37 IST
Reason: SelfAttested